4

उद्योग, विद्युत, सड़कें एवं परिवहन

औद्योगिकरण किसी भी देश या राज्य के तेजी से विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक राज्य में आर्थिक विकास को तेज करता है और इस तरह राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के योगदान को बढ़ाता है और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन शामिल है। इस प्रक्रिया के प्रभाव से एक समाज पूर्व–औद्योगिक स्तर से औद्यागिक स्तर में परिवर्तित होता है। राज्य को पूर्व–प्रचलित निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने और गतिशील शासन प्रणाली द्वारा संतुलित, क्षेत्रीय और सतत विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरो का सृजन करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के एक व्यापक पैमाने को अपनाया है।

उद्योग और वाणिज्य

4.2 राज्य के पहले और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे में राज्य के व्यवसाय के माहौल को मजबूत करना है, जिससे हरियाणा राज्य को पसंदीदा वैश्विक स्तर पर निवेश गंतव्य का स्थान बनाया जा सके। सरकार विनियामक बोझ को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू करके इस लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार उद्योग के भौगोलिक संवितरण के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास पर जोर देने के साथ ग्रीन फील्ड निवेश द्वारा रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए पथप्रदर्शक सुधारों और उपायों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।

4.3 राज्य सरकार ने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए "हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी–2020 (एच.ई.ई.पी.-2020)" को दिनांक 01–01–2021 से प्रभावी रूप से लागू किया है। यह नीति हरियाणा को एक प्रतिस्पर्धी और पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में स्थापित करने, क्षेत्रीय विकास, निर्यात विविधीकरण और लचीला आर्थिक विकास के माध्यम से अपने लोगों के लिए आजीविका के अवसरों को बढाने की परिकल्पना करती है। इस नीति का उद्देश्य 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना और राज्य में 5 लाख नौकरियों का सृजन करना है। सरकार विनियामक बोझ को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए सुधारों को लागू करने पर लगातार काम कर रही है।

4.4 इसके अतिरिक्त, उद्योग और वाणिज्य विभाग ने हरियाणा में क्षेत्र के विकास के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया। विभाग ने हरियाणा कृषि–व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2018, हरियाणा रसद, भंडारण और खुदरा नीति, 2019 और हरियाणा फार्मास्युटिकल नीति, 2019 जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक क्षेत्रीय नीतियां शुरू की हैं। ये नीतियां विभिन्न आकर्षक राजकोषीय प्रोत्साहनों की पेशकश कर रही हैं और निवेशक पर नियामक बोझ को कम करने के लिए कई उपाय कर रही हैं।

4.5 परिवहन क्षेत्र को डी–कार्बोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन एक आशाजनक वैश्विक रणनीति है। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जो वैश्विक ईवी30@30 अभियान का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 30% नए इलैक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करना है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) निर्माण में अवसरों की खोज के लिए ऑटोमोटिव निर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत

का उपयोग करने की परिकल्पना करते हुए हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2022 लॉन्च की है। नीति राज्य में ई–मोबिलिटी के लिए एंड–टू–एंड पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर विशेष जोर देती है और राज्य के भीतर इलैक्ट्रिक वाहन निर्माण और अधिग्रहण लेने के लिए ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत का उपयोग करने की परिकल्पना करती है।

4.6 हरियाणा इलैक्ट्रिक वाहन नीति–2022 के उद्देश्य हैं– (i) राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.) के उपयोग को बढ़ावा देकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना। (ii) एक व्यापक और सुलभ चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करके इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सस्ता और आसान बनाना। (iii) हरियाणा को इलैक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.), ई.वी. के प्रमुख घटकों और ईवी के लिए बैटरी के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। (iv) राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना। (v) विद्युत गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

4.7 नियमों को आसान बनाने के अलावा, हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपना रहा है। राज्य की ई.ओ.डी.बी. रणनीति को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है, अर्थात 'डिजाइन और विकास', 'कार्यान्वयन और उपयोग' और 'सुधार'। हरियाणा की 3 चरण की रणनीति का अंतिम उद्देश्य व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। राज्य सरकार उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय से कार्य कर रही है। राज्य ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के मूल्यांकन में 37 भाग लेने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच 2022 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में "टॉप अचीवर" का दर्जा हासिल किया। भारत सरकार द्वारा 13–10–2022 को जारी की गई लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) रैंकिंग में हरियाणा को "टॉप अचीवर" का दर्जा हासिल हुआ।

4.8 राज्य द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में से एक 2 फरवरी, 2017 को सिंगल रूफ मैकेनिज्म, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर (एच.ई.पी.सी.) की स्थापना है। इंटरएक्टिव पोर्टल द्वारा समर्थित सिंगल रूफ क्लीयरेंस सिस्टम को उद्यम संबंधी क्लीयरेंस/ऑनलाइन सेवाओं के प्रदान करने हेतु स्थापित की गई है। अब तक, इसने औद्योगिक स्वीकृतियों से संबंधित 4 लाख सेवा से अधिक अनुरोधों को संसाधित किया है। पोर्टल अब 25 विभागों से 130+ औद्योगिक मंजूरी प्रदान करता है जैसे कि स्थापना के लिए सहमति, भवन योजनाओं की स्वीकृति, बिजली कनेक्शन, संचालन की सहमति, व्यवसाय प्रमाण पत्र आदि अब समयबद्ध तरीके से एच.ई.पी.सी. के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। सभी सेवाएं अधिकतम 30+15 दिनों की समय सीमा के भीतर वितरित की जाती हैं। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के तहत अपने वैधानिक समर्थन के कारण हरियाणा द्वारा विकसित सिंगल रूफ मैकेनिज्म अद्वितीय है। एच.ई.पी.सी. के निर्माण से अनुमोदन प्रक्रियाओं को चैनलाइज करने में मदद मिली है और निवेशकों के लिए कई स्पर्श बिंदु कम हो गए हैं। वित्त वर्ष 2022–23 में औसत निकासी समय 22 दिन से घटकर 12 दिन हो गया है। एच.ई.पी.सी. निवेशकों का मार्गदर्शन करने और प्रक्रिया, समयसीमा और औद्योगिक सेवाओं से संबंधित अन्य समान प्रश्नों के बारे में उनके प्रश्नों को हल करने के लिए हेल्पडेस्क संचालित करता है।

4.9 ईपीपी–2015 ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद की थी। राज्य निवेशकों के लिए भरोसेमंद गंतव्य बना रहा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित 495 समझौता ज्ञापनों में से 188 को 26,002.02 करोड़ रुपये के निवेश मूल्यांकन और 37,566 व्यक्तियों के रोजगार

सृजन के साथ कार्यान्वित किया गया है/ कार्यान्वित किया जा रहा है।

4.10 हाल के दिनों में (मार्च 2022 के बाद) एच.एस.आई.आई.डी.सी. इंडस्ट्रियल एस्टेट में कई बड़ी टिकट परियोजनाओं को जुटाया/ आवंटित किया गया है, जो न केवल राज्य में निवेश को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा बल्कि एम.एस.एम.ई. और सहायक इकाइयों को भी गति प्रदान करेगा। इन परियोजनाओं में शामिल हैं: (i) मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कार निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए आई.एम.टी. खरखौदा में 800 एकड़ भूमि पर परियोजना बनाई है और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1,466 करोड रुपये के निवेश के साथ दोपहिया विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए आई. एम.टी. खरखौदा में 100 एकड़ के क्षेत्र में परियोजना बनाई है। (ii) इंडस्ट्रियल एस्टेट (आई.ई.) पानीपत में पॉलिएस्टर चिप्स के निर्माण के लिए यूफ्लेक्स लिमिटेड परियोजना। (iii) 310 करोड़ रुपये के निश्चित पूंजी निवेश के साथ आईएमटी रोहतक में दूध और दूध उत्पादों को पैक करने के लिए स्वच्छ पॉलीफिल्म के निर्माण के लिए एक परियोजना। (iv) मैसर्स फैवेले ट्रांसपोर्ट रेल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आई.एम.टी. रोहतक में रेलवे/मेट्रो के लिए विभिन्न घटकों के निर्माण के लिए 201 करोड़ रुपये के निश्चित पूंजी निवेश के साथ परियोजना। (v) आई.एम.टी. रोहतक में फुटवियर क्लस्टर/पार्क स्थापित किया जा रहा है।

4.11 गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के परिणामस्वरूप, उद्योग कम पूंजी निवेश के साथ स्थापित हो जाते हैं और बाधाओं के बिना कार्य कर सकते हैं। ये बुनियादी सुविधाएं व्यवसायों और उद्योगों के विकास में सहायता करती हैं। इस संबंध में, राज्य सरकार ने राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। दिल्ली से सटे कुंडली, मानेसर और पलवल में 135 किलोमीटर का के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे विकसित किया गया है। इसके अलावा, एक वैश्विक अर्थशास्त्र गलियारा, जिसे एक्सप्रैस–वे के साथ विकसित करने का प्रस्ताव है, में 50 बिलियन अमरीकी डालर की निवेश क्षमता होने का अनुमान है।

4.12 हरियाणा सरकार खरखौदा (सोनीपत) के पास लगभग 3,300 एकड़ भूमि की अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप और सोहना में लगभग 1,400 एकड़ की औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आई.एम.टी.) के विकास पर काम कर रही है। ये टाउनशिप गुरुग्राम–सोहना–अलवर राजमार्ग को जोड़ने वाले के.एम.पी. एक्सप्रेसवे के आसपास होंगी, इस प्रकार विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ औद्योगिक गलियारे के विकास में मदद मिलेगी।

4.13 पंचग्राम क्षेत्र की अवधारणा के तहत लगभग 50,000 हेक्टेयर से प्रत्येक नए शहर/टाउनशिप को स्मार्ट मॉडल औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने की संकल्पना की जा रही है। यह तेजी से औद्योगिक और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। पंचग्राम क्षेत्र की अवधारणा को 25–09–2018 को आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था और उपरोक्त अवधारणा को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। हालांकि, कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद, दो शहरों, गुरुग्राम से सटे शहर 3 और फरीदाबाद से सटे शहर 5 को मास्टर प्लानिंग के लिए लिया गया था। कंसल्टेंसी फर्म ए.ई.सी.ओ.एम. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 08.03.2019 को गुरुग्राम से सटे सिटी 3 के लिए मास्टरप्लान 2040 की तैयारी के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और कंसल्टेंसी फर्म एस.सी.पी. कंसल्टेंट्स (सिंगापुर) को 03–06–2019 को फरीदाबाद से सटे सिटी 5 के लिए मास्टरप्लान 2040 की तैयारी के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

4.14 राज्य सरकार दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना (डी.एम.आई.सी.) के सहयोग से 886 एकड़ से अधिक क्षेत्र में नारनौल, महेंद्रगढ़ में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब (आई.एम.एल.एच.) विकसित कर रही है, जिसकी प्रस्तावित परियोजना लागत 700 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। स्रोत से परियोजना सीमा तक रेल, सड़क, बिजली और पानी की बाहरी कनेक्टिविटी से संबंधित कार्य चल रहा है। 31–07–2022 तक, 1,00,441.67 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 310 बड़ी औद्योगिक इकाईयां हैं जो 2,76,970 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं।

4.15 इसके अलावा, हरियाणा सरकार साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण और गैर–अनुरूप क्षेत्र में स्थित उद्योगों की मुख्य स्ट्रीमिंग के लिए एक औद्योगिक सर्वेक्षण (जी.पी.एस. आधारित) आयोजित कर रही है और चरण–I के तहत कवर किए गए 04 जिलों अर्थात यमुनानगर, पानीपत, फरीदाबाद और रोहतक के औद्योगिक सर्वेक्षण डेटा चल रहे हैं।

4.16 प्राकृतिक संसाधनों की कमी और बंदरगाहों से राज्य की दूरी के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है। 1966–67 के दौरान 4.50 करोड़ रुपये के निर्यात के साथ शुरू होकर, राज्य में आज वर्ष 2021–22 के दौरान लगभग 2,17,222 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है।

इकाइयों को प्रोत्साहन

4.17 उद्यम संवर्धन नीति–2015/ हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 के अनुसार बड़ी और मेगा इकाइयों और भंडारण इकाइयों को दिए गए प्रोत्साहनों में वैट/एस. जी.एस.टी. पर निवेश सब्सिडी, विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प ड्यूटी रिफंड योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना आदि शामिल हैं। पिछले 6 वर्षों के दौरान मेगा, बृहत और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए प्रोत्साहनों पर व्यय का ब्यौरा **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1– मैगा वृहत तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए प्रोत्साहन का खर्चा

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट आवंटन	संशोधित बजट आवंटन	किया गया व्यय
2017-18	150.00	67.20	66.98
2018-19	100.00	69.42	69.42
2019-20	100.00	100.00	99.99
2020-21	100.00	100.00	75.78
2021-22	100.00	50.00	29.98
2022-23 (30-09-22 तक)	100.00	98.80	37.03

स्त्रोतः उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, हरियाणा।

4.18 अन्य प्रमुख पहल

- **पी.एम. गति शक्ति**–हरियाणा सरकार ने राज्य में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए पी.एम. गति शक्ति को अपनाया है। हरियाणा ने परियोजना योजना के लिए आवश्यक अनिवार्य 28 डेटा परतों (तटीय विनियमन क्षेत्र परत हरियाणा के लिए लागू नहीं है) में से 27 अपलोड किए हैं। अनिवार्य परतों के अलावा, हरियाणा राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर अतिरिक्त डेटा परतों को अपडेट कर रहा है। 09.12.2022 तक, पोर्टल पर 129 डेटा परतें अपलोड की गई हैं। राज्य ने ''पूंजी निवेश वित्त वर्ष 2022–23 के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना'' के तहत वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को 06 परियोजनाएं प्रस्तुत कीं, जिनमें से 03 परियोजनाओं को डी.पी.आई.आई.टी., भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इन सभी परियोजनाओं की योजना गति शक्ति पोर्टल पर बनाई जा रही है।
- बी.आई.एस.ए.जी.–एन के सहयोग से, राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और महिला और बाल विकास विभाग सहित हरियाणा के विभिन्न विभागों के लिए पी.एम. गति शक्ति पोर्टल पर पांच मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए हैं। विभाग डेटा संग्रह और मानचित्रण बुनियादी ढांचे में इन अनुप्रयोगों का उपयोग कर रहे हैं।
- 2022–23 में पी. एम. गति शक्ति राज्य में बुनियादी ढांचे के विभागों के लिए योजना उपकरण बन गई है।

हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड

4.19 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा सरकार की जारी अधिसूचना दिनांक 19–02–1969 की धारा 3(1) के तहत पंजाब खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1955 के अधीन हुई। बोर्ड सामान्य रूप से खादी व ग्रामोद्योग आयोग के कार्यो को क्रियान्वयन करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बोर्ड के उद्धेश्यों में दक्षता में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व तकनीक का हस्तांतरण, व्यक्तियों में आत्म निर्भरता लाने के लिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण और एक सुदृढ़ ग्रामीण समुदाय का निर्माण करना सम्मिलित है, अन्य उद्धेश्य निम्न प्रकार से है–

- पात्र ऋणियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करवाना।
- खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में सेवारत व इस क्षेत्र में रोजगार की तलाश करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में विकास।
- खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री एवं विपणन को बढ़ावा देना।

प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

4.20 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालयख भारत सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की उदघोषणा की गई है। बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से एक मुश्त मार्जिन मनी असिस्टैंस (सब्सिडी) कार्यक्रम के साथ खादी व खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। इस योजना के तहत उत्पादन क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रूपये के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत की मार्जिन मनी (सब्सिडी) की दर ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत की दर प्रदान की जाती है और साथ ही अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से अपंग/भूतपूर्व सैनिक अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी इत्यादि का सम्बन्ध है, इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। बोर्ड द्वारा वर्ष 2021–22 में प्राप्त कुल लक्ष्यों 2,159.40 लाख रूपये में से 2,147.74 लाख रूपये (99.46 प्रतिशत) लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्त कर ली गई और वर्ष 2022–23 में प्राप्त कुल लक्ष्यों 2,267.40 लाख रूपये में से दिनांक 31–01–2023 तक 1,496.07 लाख रूपये (65.98 प्रतिशत) लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्त कर ली गई है।

4.21 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यालय, पंचकुला में हरियाणा राज्य में स्थित बोर्ड तथा खादी व ग्रामोद्योग आयोग की वित्तपोषित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए एक बिक्री केन्द्र 1 नवम्बर, 2018 को खोला गया तथा बोर्ड ने अपना दूसरा आउटलेट फरीदाबाद में दिनांक 21–01–2022 से शुरू किया। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में बिक्री केन्द्र खोलने बारे कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021–22 के दौरान हर खादी उत्पादों (पंचकूला तथा फरीदाबाद आउटलेट) की कुल बिक्री क्रमश 19.56 लाख रूपये तथा 90 लाख रूपये थी। वर्ष 2022–23 (31–10–2022 तक) के दौरान हर खादी उत्पादों की बिक्री (आउटलेट पंचकूला तथा फरीदाबाद) क्रमश 15.39 लाख रूपये तथा 1.14 लाख रूपये थी। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड कन्वर्जेंस योजना के तहत हैफेड के आउटलेट के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था की है। बोर्ड ने हर हित योजना के तहत हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटिड के आउटलेट के माध्यम से भी उत्पाद बेचने की व्यवस्था की है।

खान एवं भू–विज्ञान विभाग

4.22 खान एवं भू–विज्ञान विभाग राज्य में सतत विकास के सिद्वांतों का पालन करते हुए राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा के व्यवस्थित अन्वेषण व दोहन कार्य के लिये उत्तरदायी है। हरियाणा राज्य को किसी भी प्रमुख खनिजों के महत्वपूर्ण भण्डार के लिए नहीं जाना जाता है तथा इसके खनन कार्य मुख्यतः लघु खनिजों जैसे कि पत्थर, रेत, बजरी आदि जो निर्माण कार्य में प्रयोग होती है, तक ही सीमित है।

4.23 विभाग का भूवैज्ञानिक विंग कई तरह के कार्य की देखरेख कर रहा है जैसेः– i) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समन्वय से नए खनिज युक्त क्षेत्रों की जांच करने के लिए खनिज अन्वेषण कार्य ii) राज्य में लघु खनिजों की खाली खदानों की ग्राउड ट्रूथिंग, iii) खान क्षेत्र में उचित कार्य सुनिश्चित करने के लिए परिचालन खानों का आवधिक निरीक्षण iv) किसी भी आवश्यकता के मामले में सीमांकन कार्य।

4.24 खान एवम् भू–विज्ञान विभाग निम्न विधानों के अनुरूप प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैः–

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957–यह एक केन्द्रीय अधिनियम है जो कि देश में खनन के सतत विकास एवम् खनिज रियायत के लिये प्रावधान प्रदान करता है।
- खनिज रियायत नियम, 1960–केन्द्र सरकार द्वारा बड़े खनिजों के खनन के लिए रियायत दिये जाने के लिये बनाया गया है।
- हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 दिनांक 20–06–2012 को अधिसूचित किया गया। केन्द्रीय अधिनियम, 1957 की धारा 15 और 23 सी के तहत राज्य के नियम बनाये गये हैं।
- हरियाणा खनिज (निहित अधिकार) अधिनियम, 1973
- हरियाणा विनियमन एवं क्रैशर नियन्त्रण अधिनियम, 1991 (आमतौर पर स्टोन क्रैशर अधिनियम, 1991 के रूप में सदंर्भित) और राज्य में आपरेटरों स्टोन क्रैशरों को विनियमित करने के लिये बनाए गए नियम।
- हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017

वर्ष 2022–23 के दौरान विभाग की उल्लेखनीय उपलब्धियां

4.25 लघु खनिज रियायत प्रदान करने हेतु जिस प्रक्रिया कि शुरूआत वित्त वर्ष 2014–15 में की गई थी, का अनुसरण वित्त वर्ष 2022–23 में भी किया जा रहा है ताकि राज्य सरकार की नीति अनुसार खनिज अनुदान छोटे आकार की खनन ईकाईयों/खण्डों के तौर पर प्रदान करने की शुरूआत की गई ताकि खनन व्यापार में रूचि रखने वाले लघु व्यवसायी/व्यक्ति खनन कार्य में प्रवेश कर सकें जो किसी भी प्रकार की मिलीभगत या एकाधिकार को रोकता है। इस नीति का अनुसरण वित्त वर्ष 2022–23 में भी किया जा रहा है। कुल 128 लघु खनिज खदानों में से 68 के खनिज अनुदान प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किया गया हैं। गांव खानक, जिला भिवानी की एक पत्थर की खान एच.एस.आई.आई.डी.सी., हरियाणा सरकार के एक उपक्रम, को राज्य नियमों, 2012 में छूट देते हुए प्रदान की गई है। 68 खनिज अनुदानों में से 43 खदानें वर्तमान में जारी है, जबकि 60 खदानें खाली पड़ी हैं और इतनी ही खदानों की सत्यता की प्रक्रिया के बाद समय–समय पर नीलामी की जा रही है। जिलावार विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2– राज्य में खानों का जिलावार विवरण

संख्या	जिला	खानों की कुल संख्या	आबंटित खानों की कुल संख्या	वर्तमान में खाली/ खाली आबंटित खानों की कुल संख्या	खानों की संख्या जिनमें खनन कार्य जारी है।
1.	पंचकुला	18	07	11	05
2.	अंबाला	08	03	05	00
3.	यमुनानगर	30	16	14	14
4.	कुरूक्षेत्र	01	00	01	00
5.	करनाल	08	08	00	00
6.	पानीपत	03	01	02	00
7.	सोनीपत	14	04	10	04
8.	फरीदाबाद	04	04	00	00
9.	पलवल	07	02	05	00
10.	भिवानी	03	03	00	02
11.	चरखी दादरी	14	11	03	11
12.	हिसार	01(लुप्त)	00	01	00
13.	रेवाड़ी	01	00	01	00
14.	महेन्द्रगढ़ (रेत)	03	00	03	00
15.	महेन्द्रगढ़ (पत्थर)	13	09	04	07
	कुल	**128**	**68**	**60**	**43**

स्त्रोतः खान एवं भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा।

4.26 अवैध खनन

- राज्य में किसी भी खनिज का संगठित अवैध खनन नहीं है, हालांकि खनिज चोरी की छुटपुट घटनायें सामने आती है, जिन्हें कानून अनुसार सख्ती से निपटा जाता है। अवैध खनन मामलों की जांच के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में अवैध खनन रोकने/जांच तथा माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों की अनुपालना हेतु संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिलास्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य हैं।
- इन कार्यबलों को जिलों में अवैध खनन की किसी भी घटना के छिटपुट मामलों पर नियमित निगरानी रखने और उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सौपी गई है। इसके अलावा इन टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा की जाती है।

4.27 खनिजों का अवैध परिवहन

- इस तरह की घटनायें जिनमें साथ लगते अन्य प्रदेशों से बिना वैध बिल/भार पर्ची खनिजों के परिवहन के मामले भी शामिल है, को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाकर निपटाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग अवैध खनन में संलिप्त पाये जाते हैं, उनके विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिर्पोट भी दर्ज की जाती है और आस–पास के राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपना ए.पी.आई. सांझा करे ताकि उनके द्वारा जारी किए गए ई–रावणा को भी निरीक्षण दल द्वारा पुनः सत्यापित किया जा सके।
- खान एवं भू–विज्ञान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कड़ी निगरानी के अतिरक्त अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जैसे वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन एवं पुलिस भी अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठा रहे है। दिनांक 28–08–2019 से 31–10–2022 के दौरान अवैध खनन/खनिजों के अवैध परिवहन में जब्त गाड़ियों का विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

तालिका 4.3– राज्य में जब्त किये गये वाहनों के मामलों की जिलेवार संख्या

क्रमांक	जिलों के नाम	पकड़े गए वाहनों की संख्या (28–08–2019 से 31–10–2022 तक)
1	पानीपत एवं करनाल	406
2	फरीदाबाद/पलवल	910
3	सोनीपत	726
4	यमुनानगर	1437
5	गुरूग्राम एवं नूह	1232
6	महेन्द्रगढ़ एवं नारनौल	933
7	अम्बाला	435
8	हिसार एवं फतेहाबाद	59
9	सिरसा	121
10	रोहतक एवं झज्जर	304
11	पंचकुला	483
12	चरखी दादरी	374
13	कुरूक्षेत्र	281
14	रेवाड़ी	249
15	भिवानी	253
16	जीन्द	104
	कुल	**8307**

स्त्रोतः खान एवम भू–विज्ञान विभाग,हरियाणा।

- राज्य में कानूनी स्त्रोतों से खनन के वैध प्रमाण के बिना पाए गए अवैध खनन/खनिजों/वाहनों की चोरी की स्थिति के मामले **तालिका 4.4** में दिए गए हैः

तालिका 4.4–अवैध खनन के मामले और वसूल किया गया जुर्माना

वर्ष	मामलों की संख्या	जुर्माना वसूल किया गया (लाख रूपये में)
2015–16	3912	838.55
2016–17	1963	435.34
2017–18	1748	480.73
2018–19	2009	484.08
2019–20	2020	20171.58
2020–21	3515	8277.69
2021–22	2192	2940.01
2022–23 (सितम्बर, 2022 तक)	469	67.48
कुल	**17828**	**33695.46**

स्त्रोतः खान एवं भू–विज्ञान विभग, हरियाणा।

- हरियाणा राज्य अवैध खनन को शून्य स्तर पर लाने के लिए प्रयासरत है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदेश के किसी भी भाग में कोई अवैध खनन ना हो, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह कहना तथात्मक रूप से गलत है कि राज्य में कोई भी खनन माफिया फल फूल रहा है।
- पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ई.आई.ए. की पर्यावरण आंकलन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 14–09–2006 के अनुसार पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड से संचालन की सहमति लेने उपरांत ही खनन कार्यों की अनुमति दी जा रही हैं।

पत्थर की मांग व आपूर्ति

4.28 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित लम्बे मुकद्मेबाजी की वजह से जिला फरीदाबाद, गुरूग्राम एवं नूंह की अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन कार्य बंद पड़ा है। यद्यपि जिला महेन्द्रगढ़, चरखीदादरी एवं भिवानी में पत्थर का खनन कार्य जारी है, परन्तु निर्माण

सामग्री खासकर पत्थर की कमी के मध्यनजर मांग साथ लगते राज्यों से पूरी की जा रही है। राज्य की पत्थर खादानें निजी एवं सार्वजनिक मांग का लगभग 60 से 65 प्रतिशत जरूरत ही पूरी कर पाती है। राज्य इस बात के सतत प्रयत्न कर रहा है कि और खनन क्षेत्रों में खनन कार्य शुरू हो सके, ताकि निर्माण सामग्री की जरूरत राज्य की खदानों से ही पूरी हो सके।

राजस्व संग्रह

4.29 वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान खनिजों से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है। राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों का विवरण **तालिका 4.5** में दिया गया है।

तालिकाः 4.5–वर्षवार खनिज से राजस्व प्राप्तियां

संख्या	वर्ष	खनिज से राजस्व प्राप्ति (करोड़ रूपये में)
1	2005–06	153.34
2	2010–11	78.38
3	2015–16	265.42
4	2016–17	494.16
5	2017–18	712.87
6	2018–19	583.20
7	2019–20	702.24
8	2020–21	1019.94
9	2021–22	838.34
10	2022–23 (08–02–2023 तक)	657.18

स्त्रोतः खान एवं भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा।

मुख्य नीतिगत बदलाव किए गए/किए जाने के लिए प्रस्तावित तथा विभाग की गतिविधियों पर इसका प्रभाव/सम्भावित प्रभाव

4.30 पहले विभाग लघु खनिज के रियायत खुली नीलामी द्वारा प्रदान करता था। परन्तु अब विभाग ने ई–नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जोकि अधिक पारदर्शी है। इस उद्देश्य के लिए खनन स्थल की ई–नीलामी के लिए बैंकिंग भागीदार पहले ही चुना जा चुका है। खनन स्थल की ई–नीलामी के लिए पोर्टल पहले ही बनाया जा चुका है।

नई पहल

4.31 विभाग को जिला महेद्रगढ़ के बखरीजा भूखंड संख्या 4 पत्थर खादान का ड्रोन सर्वे नक्शा प्राप्त हुआ, उसी समय विभाग ने टोटल स्टेशन का उपयोग कर उसी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और पत्थर खादान का सरफेस प्लान व सैक्शन बनाया। जब दोनों रिपोर्टस (ड्रोन मैप के साथ–साथ टोटल सर्वे स्टेशन मैप) की तुलना की गई तो पाया गया कि ड्रोन मैप सर्वे में त्रुटि थी, इसलिए अन्य खनन क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे नहीं किया गया इसे आगे नहीं लिया गया। विभाग ने खनन क्षेत्रों के सीमाकंन और भूसंदर्भित मानचित्रण के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एच.ए.आर.एस.ए.सी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है। कमांड एंड कान्टैक्ट सैंटर का एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है जिसमें एच.ए.आर.एस.ए.सी., एन. आई.सी., आई.टी. और विभाग के व्यक्ति संबंधित खनन स्थलों में ठेकेदारों की खनन गतिविधियों की निगरानी करेगें।

जिला खनिज प्रतिष्ठान

4.32 केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 को संशोधित किया। इन संशोधनों के अंतर्गत धारा 9(बी) जोड़ी गई, जिसके अनुसार खनन एवं इससे संबंधित कार्यो की वजह से प्रभावित क्षेत्रों व लोगों के हित के लिए कार्य करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान की स्थापना करना था।

तदानुसार हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम बनाऐ गए तथा इन्हें 19–12–2017 को अधिसूचित किया गया। राज्य नियम, 2012 के मौजूदा प्रावधानानुसार कार्यरत खदानों द्वारा 7.5 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि खान एवं खनिज पुर्नस्थापन और पुर्नवास फण्ड में जमा करवानी होती है, राज्य सरकार भी डैड रैंट, रायल्टी और कान्टैक्ट मनी के कारण सरकार द्वारा अपनी कमाई का 2.5 प्रतिशत हिस्सा इस फण्ड में प्रदान करती है। उक्त फंड का उपयोग मुख्य रूप से खनन एवं अन्य खनन सम्बधी कार्यो से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित एवं लाभ के कार्य हेतु किया जाना है। खनन प्रभावित क्षेत्रों/जिलों में सम्बधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में डी.एम.एफ के सहयोग से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कियान्वित की जाती है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैः

- खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण सम्बन्धी परियोजनाओं/कार्यक्रम लागू करना जो केन्द्र सरकार की वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं की पूरक होगी।
- खनन के दौरान तथा इसके पश्चात् खनन जिलों के लोगों पर पड़ने वाले पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक असर को कम करना; तथा
- खनन क्षेत्रों में खनन प्रभावित लोगों के दीर्घकालीन आजीविका सुनिश्चित करना।

ई–शासन

4.33 विभाग अपनी निम्नलिखित सेवाएं एच.ई.पी.सी. पोर्टल के माध्यम से प्रदान कर रहा है। हारट्रोन को निम्नलिखित सेवाओं के लिए विभागीय पोर्टल/आवेदन तैयार करने के लिए लगाया गया हैः–

- खनिज भण्डारण का लाईसैंस का अनुदान/नवीनीकरण
- स्टोन क्रैशर का लाईसैंस का अनुदान/नवीनीकरण
- ईंट मिट्टी की खुदाई का परमिट का अनुदान/नवीनीकरण
- साधारण मिट्टी की खुदाई के लिए परमिट
- खनिज के निपटान के लिए अनुमति प्रदान करना।

4.34 विभाग की सभी सेवाएं व्यापारिक हैं। जिस किसी आवेदक को इन सेवाओं की जरूरत है उसे सम्बन्धित सेवा के लिए फार्म सभी दस्तावेजों सहित भरना होता है। सभी आवेदन ऑनलाईन स्वीकार किए जाते हैं तथा उनका डिस्पोजल भी ऑनलाईन किया जाता है। जिसमें उनकी मारकिंग, दस्तावेजों की वेरिफिकेशन, नोटिंग, ड्राफटिंग, ऐतराज, रिमार्क व उनका स्वीकृति या मनाही शामिल है। प्रत्येक चीज ऑनलाईन है तथा बिना किसी कागज के प्रयोग के निपटाई जाती है। यह पोर्टल कर्मचारियों द्वारा दी गई, टिप्पणी समय व फाईल का इतिहास दर्ज रखता है।

4.35 इससे खनिज रियायत क्षेत्रों से बाहर जाने वाले उन सभी वाहनों का विनियमन हो सकेगा जो खनिज परिवहन में संलिप्त है तथा खनिज उत्पादकता का सही आकलन भी हो सकेगा। इससे इस बात की भी संभावनाएं बढ जाएंगी की खनन कार्य वैज्ञानिक तौर पर तथा पर्यावरण के अनुकूल हो और विभिन्न खानों बारे महत्वपूर्ण जानकारियां ई–मोड्यूल पर उपलब्ध होंगी। ई–शासन का प्रस्ताव हितधारकों की भूमिका, जिम्मेवारी एवं साधनों को साफ तौर पर परिभाषित करेगा। विभाग ने ई–शासन सिस्टम तैयार करने के लिए हरियाणा नॉलिज कारर्पोशन लिमिटड के साथ अनुबंध किया हुआ है। ई–रवाना सिस्टम राज्य के सभी जिलों में शुरू कर दिया गया है।

विभाग की संपूर्ण गतिविधियां तथा कार्यक्रम

4.36 विभाग की मुख्य नीति खनिज अनुदान पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से प्रदान करना तथा प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग लोकहित के सतत विकास हेतु पर्यावरण रक्षित तरीके से करना है। राज्य की खनन क्षेत्र में प्राथमिकताएं निम्न प्रकार से हैः–

- यह सुनिश्चित करना है कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से सतत विकास के

सिद्धांतो, अर्न्तपीढीय व पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाए;

- यह सुनिश्चित करना कि निमार्ण सामग्री विकास कार्यो के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध हो;
- राज्य के लिए राजस्व का स्रोत; तथा
- स्टोन क्रैशर, स्क्रीनिंग प्लांट, स्क्रीनिंग प्लांटों इत्यादि जैसे संबंधित उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।

विद्युत

4.37 ऊर्जा निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा, इसका राजस्व प्राप्ति, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सीधा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए, सस्ती कीमत की बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक है। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों की सीमित उपलब्धता है। राज्य में हाईड्रो उत्पादन क्षमता बहुत कम है। यहां तक कि कोयले की खानें भी राज्य से बहुत दूर स्थित है। यहां वन क्षेत्र बहुत सीमित है। विद्युत उत्पादन का लाभ उठाने के लिए राज्य में वायु वेग भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि, सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन भूमि क्षेत्र सीमा बड़े पैमान पर इस संसाधन के दोहन के रूप में अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए, राज्य संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं से हाईड्रो पॉवर तथा राज्य के अन्दर स्थापित सीमित थर्मल उत्पादन क्षमता पर निर्भर कर रहा है।

4.38 दिनांक 09–01–2023 को राज्य की कुल उपलब्ध स्थापित क्षमता इस समय 13,522.85 मेगावाट है। इसमें 2,582.40 मेगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 846.14 मेगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं (बी.बी.एम.बी.) से तथा शेष केन्द्रीय परियोजनाओं व स्वतंत्र निजी बिजली परियोजनाओं में हिस्से से उपलब्ध है। वर्ष 2021–22 के दौरान इन स्रोतों से बिजली उपलब्धता 5,29,358.75 लाख किलोवाट थी। वर्ष 2021–22 के दौरान 4,58,223.04 लाख किलोवाट बिजली बेची गई। वर्ष–वार स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली का विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6– राज्य में स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली

वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता* (मैगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मैगावाट)	उपलब्ध बिजली (लाख किलोवाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)
1967–68	29.00	343.00	6010	5010.27
1970–71	29.00	486.00	12460	9030.00
1980–81	1074.00	1174.00	41480	33910.00
1990–91	1757.00	2229.50	90250	66410.00
2000–01	1780.00	3124.50	166017	154231.00
2010–11	4106.00	5997.83	296623	240125.00
2015–16	3611.37	11053.30	445111	322370.61
2020–21	3428.54	12241.41	495874	418352.00
2021–22	3428.54	12101.52	529359	458223.04
2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)	3428.54	13522.85	474234.33	409947.21

* यह राज्य की अपनी परियोजनाओं एवं संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं के हिस्से को दर्शाता है परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं अर्थात एन.एच.पी.सी.,एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी., आर.ए.पी.पी. एवं आई.पी.पीज. (आई.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर, तथा लघु हाईड्रों एवं सौर परियोजनाएं आदि) से बाहर हैं।

स्त्रोतः. एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

तालिका 4.7–राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	कुल
2001–02	2759547	347437	66247	361932	9217	3544380
2005–06	3119788	387520	70181	411769	11402	4000660
2010–11	3684410	462520	85705	520391	34896	4787922
2015–16	4419364	573848	99195	613973	45790	5752170
2019–20	5391944	683042	111569	643588	27466	6857609
2020–21	5606807	717355	113773	650800	28649	7117384
2021–22	5810407	759112	118751	664882	29684	7382836
2022–23 (नवम्बर, 2022 तक)	5957505	789233	120772	679883	32202	7579595

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

तालिका 4.8–राज्य में सैक्टर–वार बिजली की खपत

(लाख यूनिट)

सैक्टर	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)
औद्योगिक	137561.89	126728.19	164644.20	143589.65
घरेलू	110778.10	120029.69	133424.51	125231.68
कृषि	103072.89	100872.46	91075.54	77551.50
वाणिज्यिक	48759.15	40422.09	36330.25	35966.31
पब्लिक सर्विस (सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक जल घर)	13373.81	12909.51	13874.63	10227.47
रेलवेज	977.94	510.90	598.53	603.28
विविध	16421.9	16879.99	18275.38	16777.33
कुल	**430945.68**	**418352.83**	**458223.04**	**409947.21**

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

तालिका 4.9 राज्य में वर्ष–वार निवल लाभ

वित्त वर्ष	लाभ (रूपए करोड़ों में)
2012-13	-3649.25
2013-14	-3553.66
2014-15	-2116.73
2015-16	-815.62
2016-17	-193.05
2017-18	412.35
2018-19	280.94
2019-20	331.34
2020-21	636.67
2021-22	263.04

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

4.39 राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2001–02 में 35,44,380 से बढ़कर 2022–23 (नवम्बर 2022 तक) में 75,79,595 हो गई है। श्रेणी–वार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 4.7** में दी गई है।

4.40 वर्ष 1967–68 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 57 यूनिटों से बढ़कर 2021–22 में 2,167 यूनिट हो गई है। 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 के अन्त तक डिस्कॉम में बिजली की खपत 4,09,947.21 लाख यूनिट (एल.यूज.) थी। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा बिजली की अधिकतम खपत अर्थात 1,43,589.65 लाख यूनिट तथा घरेलू क्षेत्र में 1,25,231.68 लाख यूनिट थी। वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए 5,500 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। क्षेत्र–वार बिजली की खपत **तालिका 4.8** में दी गई है।

4.41 वित्त वर्ष 2021–22 एवं वित्त वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान एच. पी.यू. द्वारा हासिल की गई मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैः–

- ए.टी.एण्ड सी. लॉसिस में कमी–डिस्कॉमस द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से ए.टी. एण्ड सी. लॉसिस कम हुए हैं। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान ए.टी.एण्डसी. लॉसिस 11.30 प्रतिशत तक कम हुए जो वित्त वर्ष 2015–16 में 30.02 प्रतिशत थी।
- इंटीग्रेटिड रेटिंग–वर्ष 2020–21 के 10वीं इंटीग्रेटिड रेटिंग में हरियाणा डिस्कॉमस उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ए व ए+ रेटिंग प्राप्त की है। सभी राज्य स्वामित्व वाली डिस्काम में हरियाणा राज्य गुजरात के बाद पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा।
- डिस्कॉमस का टर्नअराउंड– डिस्कॉमस ने वित्तीय टर्नअराउंड हासिल किया तथा 2017–18 से एक निवल लाभ दर्ज किया है। वर्ष–वार निवल लाभ **तालिका 4.9** में दिया गया है।
- म्हारा गांव जगमग गांव योजना–म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जनवरी, 2016 में 105 गांवों में 24X7 बिजली सप्लाई की जो दिसम्बर, 2022 में बढकर 5,694 गांवों तक पहुंच गई है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एच.वी.पी. एन.एल. (ट्रांसमिशन कंपनी) ने 04 नए सब स्टेशन चालू किए और 82 मौजूदा सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई है। 347.51 करोड़ रूपए की लागत से 2,395 एम.वी.ए. की ट्रांसफोर्मेशन क्षमता और 84.60 कि.मी. प्रसारण लाइनों को जोड़ा गया है।
- चालू वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022–23 (अप्रैल 2022 से जनवरी, 2023 तक) के दौरान एच.वी.पी.एन.एल. ने 05 नए सब स्टेशन चालू किए और 36 मौजूदा सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई है। 317.45 करोड़ रूपए की लागत से 1,887 एम.वी.ए. की ट्रांसफोर्मेशन क्षमता और 112.11 कि.मी. प्रसारण लाइनों को जोड़ा गया है।
- जोड़ी गई क्षमता योजना (31–01–2023 तक) के अनुसार अगले 6 वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2027–28 तक ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए एच.वी.पी.एन. एल. द्वारा 4,318.75 करोड़ रुपए (लगभग) की अनुमानित लागत से 49 नए सब स्टेशन बनाने, मौजूदा 207 सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्वि करने और 3,675.30 सर्किट किलोमीटर से अधिक प्रसारण लाइनों के बिछाने की योजना बनाई गई है।
- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, ट्रांसमिशन यूटिलिटी यानी एच.वी.पी.एन.एल. ने एच.ई. आर.सी. द्वारा निर्धारित 99.2 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता (टी.एस.ए.) 99.58 प्रतिशत (नवम्बर, 2022 तक) और 2.05 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लॉसिस (1.82 प्रतिशत (अक्टूबर, 2022 तक) के लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
- डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर को माननीय बिजली तथा नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा

मंत्री, हरियाणा सरकार से 11–01–2022 को ऊर्जा संरक्षण में राज्य स्तरीय ''मैरिट का प्रमाण–पत्र'' मिला है।

- कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान, मेडिकल सिस्टम की आवश्यकता अनुसार आम जनता के लिए ऑक्सीजन की अपातकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर.जी.टी.पी.पी., हिसार में वर्तमान हाइड्रोजन उत्पादन प्लांट को ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट में बदलकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई थी।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, पी.टी.पी.एस. पानीपत ने एच.ई.आर.सी. मानदण्डों की 2,500 किलो कैलोरी/किलोग्राम की स्टेशन हीट रेट के विरूद्ध 2,482 किलो कैलोरी/किलोग्राम की स्टेशन हीट रेट हासिल की है।
- डी.सी.आर.टी.पी.पी., यमुनानगर की 300 मेगावाट की यूनिट–I ने एच.पी.जी.सी.एल. की किसी भी यूनिट द्वारा लगातार चलने के पिछले सभी रिकार्ड तोड़ते हुए 08–04–2022 से 16–11–2022 तक 222 दिन लगातार चलने का एक नया रिकार्ड बनाया है।
- जब वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान भारत में कोयले की भारी कमी थी। तब एच.पी.जी.सी.एल. की यूनिटें लगातार चलती रही और पूरी क्षमता में बिजली उपलब्ध करवाई।
- पी.टी.पी.एस., पानीपत की 250 मेगावाट की यूनिट–8 दिनांक 11–04–2022 से 12–08–2022 तक 122 दिन लगातार चलती रही तथा 2013–14 के दौरान 94 दिनों के लगातार चलने के अपने पिछले रिकार्ड को तोड़ दिया है।

मुख्य कदम

4.42 नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए डिस्कॉमस द्वारा भी मुख्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे मीटर रीडिंग एवं स्पॉट बिलिंग में ऑटोमेशन, लगभग 81 प्रतिशत राजस्व ऑनलाईन है (सितम्बर, 2022), नागरिकों की सेवाओं की ऑनलाईन डिलीवरी, 10 लाख स्मार्ट मीटरों को लगाना शुरू किया जिसमें से 5,52,119 मीटर करनाल, पंचकूला, पानीपत तथा गुरूग्राम में 10–10–2022 तक स्थापित किए गए हैं तथा फीडबैक सैल का निर्माण।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

सोलर वाटर पम्पिंग कार्यक्रम

4.43 हरियाणा मुख्यतः एक कृषि प्रधान राज्य है और राष्ट्रीय खाद्यान भण्डार में योगदान दे रहा है। अतः राज्य को अपने किसानो के लिए उचित सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता है। किसानो की सिंचाई आवश्यकताओं की स्वच्छ ऊर्जा से पूर्ति के लिए और डीजल पम्पों को सोलर पम्पों से बदलने के लिये नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग पी.एम.–कुसुम स्कीम के तहत राज्य में सोलर पम्प प्रदान कर रहा है। हरियाणा, देश में इस स्कीम को कियान्वित करने वाले मुख्य राज्यो में से एक है, ये पम्प कृषि को न केवल स्वच्छ ऊर्जा से संचालित करेगें अपितु कृषि की लागत को भी कम करते हुए किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक होगे। वर्ष 2020–21 और 2021–22 में 37,000 सोलर पम्प लगाएं गए। इन 37,000 सोलर पम्पों से राज्य में लगभग 258 मेगावाट सोलर क्षमता स्थापित होगी तथा लगभग 232.2 मिलीयन यूनिट बिजली की सालाना बचत के साथ सालाना लगभग 1.87 लाख टन CO_2 के उत्सर्जन में कमी आएगी। वर्ष 2022–23 में 50,000 सोलर पम्प 75 प्रतिशत (राज्य + केन्द्रीय) अनुदान के साथ लगाये जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के विरूद्ध लगभग 4,384 पम्प स्थापित किए जा चुके हैं तथा 19,582 पम्पों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

बायोमास पावर प्रोजैक्टस

4.44 हरियाणा सरकार ने 2022 तक 150 मेगावाट की बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं के लक्ष्य के साथ हरियाणा जैव–ऊर्जा नीति 2018 को अधिसूचित किया है कि राज्य के खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के चार धान प्रधान जिलों नामतः कुरूक्षेत्र (15 मेगावाट), कैथल (15 मेगावाट), जींद (9.90 मेगावाट) और फतेहाबाद (9.90 मेगावाट) मे 49.80 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं आबंटित की हैं और इन परियोजाओ से लगभग 5.70 लाख टन पराली उपयोग में आएगी। कुरूक्षेत्र व कैथल में परियोजनाएं शुरू हो गई हैं और राज्य के ग्रिड बिजली की सप्लाई कर रहे है।

एल.ई.डी. आधारित सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम

4.45 विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने और राज्य में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए परम्परागत ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से विभाग एल.ई.डी. आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग योजना लागू कर रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान 12 वाट के 5,000 एल. ई.डी. आधारित स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और 300 सोलर हाई मास्ट लाईट पर क्रमशः 4,000 रूपये और 20,000 रूपये प्रति प्रणाली सब्सिडी पर लगाने का प्रस्ताव है।

सोलर इन्वर्टर चार्जर प्रोग्राम

4.46 सौर ऊर्जा से मौजूदा इनवर्टर के बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए, बिजली की लंबी कटौती के दौरान बिजली की उपलब्धता, बिजली कटौती के दौरान बैक अप के रूप में सेवा करने के लिए, स्वच्छ और हरित ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए, विभाग सौर इनवर्टर चार्जर जिसमें सौर पैनल और इंटरफेस चार्ज कन्ट्रोलर शामिल है, को बढ़ावा दे रहा है जिसका उपयोग दिन के समय मौजूदा पांपरिक इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में, सोलर इन्वर्टर चार्जर के दो मॉडल 320 वाट और 640 वाट पर क्रमशः 6,000 रूपये और 10,000 रूपये के अनुदान प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 560 सिस्टम लगाये गये। वर्ष 2022–23 में 17,200 सोलर इन्वर्टर चार्जर लगाने का प्रस्ताव है। अब तक 2,559 सिस्टम लगाये जा चुके है।

गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाना

4.47 हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी गौशालाओं में उनकी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिये 80 प्रतिशत राज्य अनुदान (बिना बैटरी बैक) एव 85 प्रतिशत राज्य अनुदान (हाईब्रिड सोलर प्लांट बैटरी बैंक) के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। शेष राषि का वहन गौशाला तथा गौ–सेवा आयोग द्वारा किया जाना है। अब तक 331 सोलर पावर प्लांट कुल सौर ऊर्जा की संचयी क्षमता के साथ 2 मेगावाट के 330 गौशालाओं में लगाये गये है। वर्ष 2022–23 में 150 गौशालाओं में 900 किलो वाट के सौर उर्जा संयत्र लगाने का प्रस्ताव है।

वास्तुकला

4.48 वास्तुकला विभाग, हरियाणा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अत्यधिक अल्पव्ययी, कलात्मक और आकर्षक शैली के सरकारी भवनों के वास्तुकला डिजाईन पर कार्य करने की हरियाणा सरकार की एक नोडल शाखा है। यह विभाग एक सेवा विभाग होने के कारण राज्य की महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढ़ाचे की योजना व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों तथा विश्वविद्यालयों को वास्तुकला संबंधी सेवाएं प्रदान करता है एवं संबधित विभाग से प्रतिपुष्टी प्राप्त करके सभी परियोजनाओं में नवीन डिजाईन समाधानों को विकसित करने का प्रयास करता है। भवनों के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल डिजाईन बनाने में हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित

हरियाणा भवन संहिता–2017 और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को अपनाया जा रहा है।

4.49 विभाग ने विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे कि नव प्रशासकीय खण्ड, न्यायिक परिसर, नागरिक अस्पताल जिसमें सी. एच.सी., पी.एच.सी. तथा एस.एस.सी. भी शामिल है, बस अड्डे, नव लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, राजकीय बहुतकनीकी, राजकीय महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अभियांत्रिक महाविद्यालय, राजकीय विद्यालय खेल स्टेडियम, कार्यालय परिसर, स्मारक भवन जिसमें विभिन्न तीर्थ स्थल भी शामिल है, पर कार्य किया है। विभाग विभिन्न अन्य विभागों और निगमों के आउटसोंर्सिग/तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकारों के माध्यम से उनके द्वारा किए गए विशाल विकास कार्यों में उनकी तकनीकी मत/इनपुट के उद्देश्य के लिए गठित विभिन्न समितियों में भाग लेकर सहायता करता है।

सड़कें

4.50 किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सड़कें संचार को और अधिक प्रभावी बनाने हेतू प्रमुख साधन है। भविष्य में सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा यातायात की जरूरतों के अनुसार सड़क नेटवर्क में सुधार/दर्जा बढ़ाना, बाईपासों का निर्माण, पुलों/सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण तथा सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने पर जोर दिया गया है। **तालिका 4.10** राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क दिया गया है।

4.51 वर्ष 2022–23 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुनर्निर्माण, ऊंचा उठाने, सीमेंट कंक्रीट पेवमैंट/ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट तथा नालियां और पुलियां/रिटेनिंग वॉल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त, सड़कों की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया है। अक्तूबर, 2022 तक की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.10– राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क

क्रम सं.	सड़क का प्रकार	लम्बाई कि.मी. में (31–03–2022 तक)	लम्बाई कि.मी. में (31–10–2022 तक)
1	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.–330 एन.एच.ए.आई. – 2753	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.– 330 एन.एच.ए.आई.– 2886
2	राज्य उच्च मार्ग	1676	1676
3	मुख्य जिला सड़कें	1375	1375
4	अन्य जिला सड़कें	24745	24996
	कुल	**30879**	**31263**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.11– सड़क सुधारं कार्यक्रमों के तहत प्रगति

(क) वित्तीय प्रगति **(रूपये करोड़ में)**

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बजट आबंटन 2022–23	खर्चा (अक्तूबर, 2022 तक)
1	प्लान– 5054 (सड़कें और पुल) नाबार्ड ऋण और पी.एम.जी.एस.वाई. सहित	2090.37	1448.67
2	नान प्लान–3054	467.51	226.40
3	केन्द्रीय सड़क कोष	150.00	9.76
4	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	60.00	44.24
5	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नान प्लान)	0.00	0.00
6	डिपोजिट कार्य (सड़कें तथा पुलों के कार्य)	95.00	26.67
कुल		**2862.88**	**1755.74**

(ख) भौतिक प्रगति

क्र.सं.	मद	लम्बाई कि.मी. में (अक्तूबर, 2022 तक)
1	नई सड़कों का निर्माण	251
2	प्रिमिक्स कारपेट (राज्य सड़कें)	991
3	चौड़ा तथा मजबूत करना (राज्य सड़कें)	1319
4	सीमैंट कंकरीट ब्लाक/पेवमैंट	159
5	साईड ड्रेन/रिटेनिंग वाल	139
6	पुर्ननिर्माण तथा ऊंचा उठाना	70
7	(क) चौड़ा (ख) मजबूत — राष्ट्रीय उच्च मार्ग	0.00 6.69

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.12– वर्ष 2022–23 के दौरान स्वीकृत हुए सड़क/पुल कार्य

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कार्यों की संख्या	राशि (अक्टूबर, 2022 तक)
1	प्लान–5054	87	249.85
2	नान प्लान–3054	134	357.64
3	नाबार्ड – सड़कें	52	373.61
4	केन्द्रीय सड़क कोष	0	0.00
5	प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना/भारत निर्माण–सड़कें	56	282.92
6	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	3	520
7	उपरगामी पुल/भूमिगत पुल (प्लान–5054)	9	152.37
8	पुल –प्लान –5054	13	67.74
	कुल	**354**	**2004.13**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.13– भवनों के मरम्मत तथा मूल कार्यों के लिए आबंटन

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	बजट आबंटन 2022–23	खर्चा 2022–23 (अक्तूबर, 2022 तक)
1	राजस्व भवन	113.75	112.26
2	पूंजीगत भवन	212.83	63.02
3	डिपोजिट भवन	500.00	258.21
	कुल	**826.58**	**433.49**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.14– पूर्ण और पूर्ण होने वाले रेल ऊपरगामी पुलों/भूमिगत पुलों की प्रगति

क्र.सं.	विवरण	2022–23 (अक्तूबर, 2022 तक)
1	ऊपरगामी/भूमिगत पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	5 = (3 एच.एस.आर.डी.सी. + 2 पी.डब्ल्यू.डी. राज्य योजना) 33= (18 एच.एस.आर.डी.सी. + 9 पी.डब्ल्यू.डी. राज्य योजना + 6 एन.एच.)
2	पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	5 = (1 नाबार्ड +4 पी.डब्ल्यू.डी.राज्य योजना) 17= (2नाबार्ड +13 पी.डब्ल्यू.डी. राज्य योजना + 2 एन.एच.)

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

मुख्य पहल

4.52 वर्ष 2022–23 के दौरान अनेक सड़कों/पुलों के कार्य स्वीकृत किये गए हैं। कार्य की स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा **तालिका 4.12** में दिया गया है। भवनों की मरम्मत, अनुरक्षण तथा मूल कार्यों हेतू आंबटन का विवरण **तालिका 4.13** में दिया गया है। विभाग द्वारा यात्रियों की देरी को कम करने तथा उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिये रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुल बनाने के लिए कदम उठाए हैं। रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुलों की प्रगति का ब्यौरा **तालिका 4.14** में दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्य

4.53 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 2 आर.ओ.बी. की परियोजनाएं 92.82 करोड़ रुपये की लागत से और 10 सड़क परियोजनाएं जिनकी कुल लम्बाई 177.33 कि.मी. है, एन.सी. आर.पी.बी. ऋण योजना के तहत 747.80 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर हैं। 18 आर.ओ. बी./आर.यू.बी. की परियोजनाएं राज्य हैड 5054 आर एंड बी (योजना) के तहत 586.20 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर हैं।

4.54 डिपॉजिट हैड के तहत 3 भवन परियोजनाएं 691.26 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर हैं, जिसमें सरकारी मैडिकल कालेज जींद का कार्य भी शामिल है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 663.86 करोड़ रुपये (524.23 करोड रुपये चरण–I और रुपये 139.63 करोड़ चरण–II) है। एजैंसी को 13–01–2021 को कार्य आवंटित किया गया था और इस कार्य पर दिनांक 30–11–2022 तक 125.89 करोड़ रुपये की लागत का व्यय किया जा चुका है। मैडिकल कालेज, जींद का कार्य प्रगति पर है और दिनांक 31–12–2023 को पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा एक सड़क परियोजना राज्य हैड 5054 आर एंड बी (योजना) (सड़कों) के तहत 296.67 करोड़ रुपये की लागत से हाल ही में स्वीकृत और आवंटित की गयी थी। 8 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. की परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य हैड में 232.24 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण होने की संभावना है।

4.55 हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एच.एस.आर.डी.सी.) ने वर्ष 2022–23 में पहले ही 30–11–2022 तक 174.58 करोड़ रुपये की लागत का व्यय एन. सी.आर.पी.बी. सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत सड़क और पुल के कार्यों के लिए खर्च कर दिया है। राज्य हैड आर एंड बी (योजना) के तहत 60.26 करोड़ रुपये की लागत का और डिपॉजिट हैड के तहत भवन कार्यों के लिए 131.63 करोड़ रुपये की लागत का व्यय किया गया है।

4.56 इस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023–24 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं आवंटित किए जाने की संभावना हैः (क) आर.ओ.बी. की 5 परियोजनाएं 417.18 करोड़ रुपये की लागत से और 3 सड़क की परियोजनाएं जिनकी कुल लम्बाई 50.74 कि.मी, 240.98 करोड़ रुपये की लागत से एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के तहत आवंटित किए जाने की संभावना है। (ख) 14 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. राज्य हैड के तहत 240.97 करोड़ रुपये की लागत से। (ग) नलहर (नूंह) में डेंटल कॉलेज 172.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत।

नाबार्ड योजना

4.57 वर्ष 2022–23 में नाबार्ड योजना आर.आई.डी.एफ.–XXVIII के अंतर्गत 373.61 करोड़ रूपये की लागत से 443.36 किलोमीटर की लंबाई वाली 52 सड़को की परियोजना को नाबार्ड को स्वीकृति के लिए भेजने का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष में नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 161.05 करोड़ रुपये की लागत से अक्टूबर, 2022 तक 215 कि.मी. लंबाई में सुधार किया गया है।

परिवहन

4.58 परिवहन विभाग, हरियाणा के 2 अंग है, जैसे कि वाणिज्यक अंग व नियामक अंग है।

वाणिज्यक अंग

4.59 सुनियोजित एवं कुशल बस सेवा का जाल विकासशील अर्थ–व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य के लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, सस्ती, सुरक्षित आरामदायक एवं कुशल यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है।

4.60 हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी राज्य परिवहन सस्थाओं में से एक है। हरियाणा रोडवेज का अधिकृत बेड़ा 4,500 बसों का है। वर्तमान में (30–09–2022 तक) हरियाणा राज्य परिवहन के पास 2,581 बसें हैं जिसमें 562 बसे किलोमीटर योजना के तहत हैं, जो 24 डिपो व 13 उप डिपो से संचालित की जा रही हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन औसतन 8.95 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा इनमें औसतन 5.59 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। हरियाणा रोडवेज में साधारण बसों के लिए चालक और परिचालक का नॉरम 1:1.4 है।

4.61 हरियाणा राज्य परिवहन की प्रगति विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छी है जैसे कि बसों की औसत आयु, स्टाफ व वाहन उत्पादकता, व इंधन की खपत इत्यादि और दुर्घटना दर सबसे कम रही है। हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2012–13 तथा 2013–14 में सबसे कम दुर्घटना दर के लिये केन्द्रीय परिवहन मन्त्री ट्राफी व 1.50 लाख रूपये का प्रत्येक वर्ष नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। ए. एस.आर.टी.यू. द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन को वर्ष 2008–09 के लिए मैदानी क्षेत्र में अच्छी वाहन उपयोगिता के लिए विजेता घोषित किया गया है।

4.62 हरियाणा राज्य परिवहन लोक परिवहन में और सुधार के लिये कृत संकल्प है और बस सेवाओं व बस अड्डों पर जनता को दी जा रही सुविधाओं में और बढ़ौतरी के लिये कई कदम उठाये गये हैं। विभाग का प्लान बजट वर्ष 2004–05 में 56 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021–22 में 231.55 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें से बस बेड़े के आधुनिकीकरण तथा अन्य ढ़ांचागत सुधारों के लिये वर्ष 2021–22 में 50.93 करोड रुपए खर्च किये गये। प्लान बजट वर्ष 2022–23 के लिए 261.55 करोड रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से अप्रैल से सितम्बर, 2022 के दौरान 150.57 करोड रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कार्यक्रम/योजनावार लक्ष्य तथा उपलब्धियां **तालिका 4.15** में दी गई है।

बस सेवाओं का आधुनिकरण

4.63 यात्रियों को आरामदायक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा 18 वॉल्वो/मरसडीज़ वातानुकुलित बसें खरीदी गई हैं। इस सेवा को चण्डीगढ–गुरूग्राम, दिल्ली–चण्डीगढ मार्ग पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा विभाग द्वारा 150 मिनी बसें भी खरीदी गई हैं, जिनकी ए.एम.सी. 5 साल है। इसके साथ ही सरकार ने बी.एस.–6 उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने वाली 809 बसों की खरीद की मंजूरी दे दी है। सरकार ने 10 साल की ए.एम.सी. वाली 1,000 पूरी तरह से निर्मित बसों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 125 मिनी बसों की खरीद के साथ ही 10 साल की ए.एम.सी. वाली 150 एच.वी.ए.सी. बसों की खरीद को भी मंजूरी दी है।

4.64 प्लान बजट वर्ष 2022–23 के दौरान बस बेड़े के अधिग्रहण के लिए वार्षिक योजना में 130 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जिसमें से 30–09–2022 तक 78.05 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। लीज धारकों द्वारा प्रति किलोमीटर के आधार पर किलोमीटर स्कीम के तहत 562 साधारण बसें प्रदान की गई है।

बस स्टैण्डों व कर्मशालाओं का निर्माण/नवीनीकरण

4.65 विभाग ने यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर 125 बस स्टैण्डों का निर्माण

किया हुआ है, जहां पर यात्रियों के लिये सभी मूल सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विभाग द्वारा पी.पी.पी. मोड पर एन. आई.टी. फरीदाबाद बस टर्मिनल का विकास किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। गुरुग्राम, करनाल, पिपली, सोनीपत और बल्लभगढ़ में नए बस स्टैंड का निर्माण भी पी. पी.पी. मोड के तहत प्रस्तावित है। विभाग ने पुराने मौजूदा बस स्टैंडों के जीर्णोद्धार की पहल की है और इस उद्देश्य के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम को 17.50 करोड़ रुपये आवंटित और भुगतान किए गए।

4.66 विभाग की भूमि एवं भवन कार्यक्रम के तहत नये बस स्टैण्ड/कर्मशालाओं के निर्माण के लिये वर्ष 2021–22 में 35.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। प्लान बजट वर्ष 2022–23 के लिए 130 करोड रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 72.34 करोड रुपए 30–09–2022 के दौरान खर्च किए जा चुके हैं।

कर्मशालाओं का आधुनिकीरण

4.67 बसों के अच्छे रख–रखाव के लिये हरियाणा राज्य परिवहन की कर्मशालाओं का भी नवीनतम मशीनें, कलपुर्जे आदि उपलब्ध करवा कर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्लान बजट वर्ष 2022–23 के लिए 1 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं।

सडक सुरक्षा

4.68 हरियाणा राज्य परिवहन प्रशासनिक व तकनीकी उपायों द्वारा दुर्घटनाओं/ब्रेक डाउन को कम करने के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा रोडवेज नए भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने और प्रमाणित करने के लिए 22 विभागीय चालक प्रशिक्षण स्कूल चला रहा है। अप्रैल से सितंबर, 2022 के दौरान 24,430 उम्मीदवारों को अपने कौशल में सुधार करने और आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारी वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए नए शुरू किए गए बैचो में महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है। वार्षिक योजना 2022–23 के लिए 50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 30–09–2022 तक 12.16 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं। अधिक गति सीमा को रोकने के लिए सभी बसों में गतिरोधक यंत्र भी लगाए गए हैं।

हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कोरपोरेशन को नया रूप देना

4.69 हरियाणा रोड़वेज़ इंजीनियरिंग कारपोरेशन, गुरूग्राम जो कि हरियाणा राज्य परिवहन के लिये बस बॉडी का निर्माण करती है, का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्लान बजट वर्ष 2022–23 के लिए 5 लाख रूपये अनुमोदित किये गये हैं।

कम्पयूट्रीकरण

4.70 विभाग के भिन्न–भिन्न कार्यकलापों को एक चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूट्रीकृत किया जा रहा है। वार्षिक योजना 2022–23 में 30–09–2022 तक कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं उससे संबंधित मदों की खरीद पर 50.46 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

4.71 तकनीकी का प्रयोग

- ड्राइवरों, कंडक्टरों, निरीक्षकों, उप–निरीक्षकों और क्लर्कों के संवर्गों में ऑनलाइन स्थानान्तरण सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है।
- 6 डिपों में पायलैट प्रौजेक्ट के बाद ई–टिकटिंग, आर.एफ.आई.डी. बस पास प्रणाली और जी.पी.एस. सिस्टम पूर्णतया लागू कर दिया गया है।
- गुणवत्ता, सुरक्षित, विश्वसनीय, स्वच्छ और सस्ती सार्वजनिक परिवहन प्रदान करके राज्य में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से निर्भया फंड स्कीम के तहत भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर प्रयोजना अनुमोदन तिथि से एक वर्ष के भीतर लागू कर दी जाएगी।
- विभाग ने प्रदूषक तत्वों के नकारात्मक प्रभावों से पर्यावरण की रक्षा के लिए शून्य उत्सर्जन इलैक्ट्रिक बसों को शुरू करने का निर्णय किया है। भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर एक वर्ष के अन्दर 124 इलैक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी।

तालिका 4.15– पिछले 5 वर्षो के कार्यक्रम/योजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(रूपये लाख में)

वर्ष	योजना/स्कीम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत उपलब्धियां
2017–18	1) भूमि और भवन	13000.00	12846.04	98.82
	2) बेड़े का अधिग्रहण	12000.00	9571.99	79.77
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	3.83	3.83
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	18.99	37.98
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	121.61	60.80
2018–19	1) भूमि और भवन	11830.00	7978.46	67.44
	2) बेड़े का अधिग्रहण	2340.00	2216.52	94.72
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	8.32	8.32
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	30.09	60.18
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	85.30	42.65
2019–20	1) भूमि और भवन	6500.00	5932.87	91.27
	2) बेड़े का अधिग्रहण	500.00	407.61	81.52
	3) कार्यशाला सुविधायें	20.00	1.31	6.56
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	10.00	0.00	0.00
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	17.65	35.30
2020–21	1) भूमि और भवन	14500.00	6171.15	42.55
	2) बेड़े का अधिग्रहण	10000.00	2547.32	25.47
	3) कार्यशाला सुविधायें	20.00	0.00	0.00
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	0.00	0.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	10.00	0.00	0.00
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	24.94	49.88
2021–22	1) भूमि और भवन	13000.00	3504.64	26.95
	2) बेड़े का अधिग्रहण	10000.00	1549.81	15.49
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	0.00	0.00
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	33.96	67.92
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	30.39	60.78

स्त्रोतः– परिवहन विभाग, हरियाणा।

मुफ्त/रियायती परिवहन सुविधायें

4.72 हरियाणा राज्य परिवहन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत सामाज के पात्र लोगों को मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधायें प्रदान कर रहा है, जैसे–

- 100 प्रतिशत मूक व बधिर व्यक्तियों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मुफ्त यात्रा सुविधा।
- रक्षा बंधन के दिन हरियाणा राज्य परिवहन में महिलाओं व बच्चों को 36 घण्टे मुफ्त यात्रा सुविधा।
- दिमागी तौर पर 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।
- छात्रों को 10 एक तरफा मासिक किराये की यात्रा सुविधा तथा छात्राओं को दिनांक 01–01–2014 से 150 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- हरियाणा राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं व 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष निवासियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की पहुंच दूरी तक किराये में 50 प्रतिशत की छूट।
- हरियाणा के नम्बरदारों को एक मास में दो दिन उनके निवास स्थान से गृह जिला मुख्यालय व दस दिन तहसील मुख्यालय तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- पैरालम्पिकस स्पोर्टस के खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये

करवाई गई हों, में भाग लेने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा।

- कैन्सर से पीड़ित मरीजों के साथ एक परिचर को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में उनके घर से कैन्सर संस्था तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- छात्राओं को अपने घरों से प्रशिक्षण संस्थान तक मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है और यात्रा की दूरी सीमा में 60 कि.मी. से 150 कि.मी. तक की बढ़ौतरी कर दी गई है। छात्राओं/महिलाओं के लिए 173 मार्गों पर विशेष बस सेवा प्रारभ्भ की है।
- आपातकाल के दौरान पीड़ित पति/पत्नी को परिवहन विभाग की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है तथा वोल्वो बसों में पति/पत्नी को किराए में 75 प्रतिशत की छूट व विधवा/विधुर पीड़ित होने की अवस्था में एक सहायक सहित यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।
- 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर पूर्व विधायकों के साथ आने वाले एक व्यक्ति को निःशुल्क यात्रा सुविधाप्रदान की गई है।

परिवहन विभाग की रैगुलेटरी विंग

4.73 परिवहन विभाग के नियामक शाखा (रैगुलेटरी विंग) को मोटर वाहन अधिनियम–1988, केन्द्रीय मोटर अधिनियम–1989, कैरिज बाई रोड एक्ट–2007 तथा हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम–2016 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वित्त वर्ष 2021–22 में 3,002.50 करोड़ रूपए की प्राप्तियों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया जिसके मुकाबले में 3,277.74 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त की जा चुकी है। चालू वित वर्ष 2022–23 में 4,450 करोड़ रूपये की राशि का लक्ष्य रखा गया है, जिसके मुकाबले में 30–11–2022 तक 2,696.87 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त की गई।

चालक कौशल में सुधार

4.74 4 चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान करनाल, बहादुरगढ़, रोहतक तथा कैथल में संचालित हैं। 9 और चालक कौशल खोलने की सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा 22 चालक प्रशिक्षण स्कूल पहले ही स्थापित किए हुए हैं तथा भारी वाहन ड्राईविंग की ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 247 ड्राईविंग ट्रेनिंग चालक स्कूल प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा हल्के मोटर वाहन (गैर परिवहन) हेतू राज्य में चलाए जा रहे हैं।

मोटर वाहनों की सड़क पात्रता में सुधार

4.75 भारत सरकार द्वारा 14.40 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता से रोहतक में पूरी तरह से स्वचालित और कम्पयूट्रीकृत मशीनों से सुसज्जित एक निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त भविष्य में बी.ओ.टी. के आधार पर राज्य में हिसार, अंबाला, करनाल, गुरूग्राम, फरीदाबाद तथा रेवाड़ी में 6 और प्रशिक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

4.76 नागरिक सेवाओं का वितरण

- रोड टैक्स का ई–भुगतानः परिवहन एवं गैर–परिवहन वाहनों के लिए सडक कर एवं शुल्क के भुगतान हेतु ई–ग्रास के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सुविधा राज्य के सभी बैंकों में उपलब्ध है।
- एस.एम.एस. सुविधाः नगरिकों को पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करने की राशि और विभिन्न सेवाओं के लिए जमा किए गए कर/शूल्क की सूचना देते हुए एस. एम.एस. भेजे जाते हैं।
- डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशनः हरियाणा राज्य में सभी स्थानों पर पूर्ण निर्मित नए वाहनों हेतू

यह प्रणाली दिनांक 02–08–2021 से शुरू की गई है।

- पंजीकरण संख्या का क्रम रहित आबंटन: राज्य भर में पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण के कार्यालय में पंजीकरण संख्या का आबंटन कम्पयूट्रीकृत क्रम रहित आबंटन प्रणाली द्वारा शुरू किया जा चुका है, जिससे कार्यालय के कार्य में पारदर्शिता आएगी।
- सभी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में फीस व कर की प्राप्तियां कम्पयूटर से जारी की जाती हैं। राज्य भर में राष्ट्रीय 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर को लागू किया जा चुका है।

सड़क सुरक्षा उपाय और जागरूकता

4.77 पूंजी प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 21–09–2022 को आयोजित की गई, जिसमें राज्य में प्रत्येक जिला परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिवों को 30 लाख रूपये, पुलिस विभाग को 16.90 करोड़ रूपये, स्थानीय निकाय विभाग को 5 करोड़ रूपये, शिक्षा विभाग को 2.94 करोड़ रूपये तथा परिवहन विभाग को 3.76 करोड़ रूपये आई.डी.टी.आर. के लिए सड़क सुरक्षा से संबधित कार्यो के लिए आंबटित किया गया।

प्रवर्तन

4.78 पूरे राज्य में ई–चालान और वाहन और सारथी वेब संस्करण–4 लागू किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए कुल 80,304 वाहनों का चालान किया गया तथा 212.38 करोड रूपए का शुल्क प्राप्त किया गया। चालू वित वर्ष 2022–23 में दिनांक 30–11–2022 तक मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 54,769 वाहनों का चालान किया गया तथा 154.07 करोड़ रूपये का शुल्क प्राप्त किया गया।

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें (एच.एस.आर.पी.)

4.79 भारत सरकार द्वारा दिनांक 06–12–2018 की अधिसूचना के अनुसार 01–04–2019 के बाद से नए वाहनों पर संबधित डीलर के द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाई जा रही है। विभाग के हिदायतों अनुसार पुराने वाहनों पर भी मैसर्स लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेटस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एच. एस. आर. पी. लगाई जा रही है। आज तक कुल 47,54,993 वाहनों पर एच.एस.आर.पी. लगाई गई है।

वाहन का स्थान बताने वाला ट्रैकिंग डिवाईस

4.80 एम.ओ.आर.टी.एच.के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हरियाणा राज्य में 01–01–2019 से पंजीकृत होने वाले सभी यात्री सेवा वाहनों के लिए वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाईस के फिटमेंट व इमरजैंसी बटन लागू करना आवश्यक किया गया है।

इलैक्ट्रिक वाहन नीति

4.81 उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 08–07–2022 को जारी राज्य की इलैक्ट्रिक वाहन नीति के तहत विभिन्न श्रेणी के वाहनों को मोटर वाहन कर एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

गुरूग्राम और फरीदाबाद में राज्य परिवहन उपक्रम

4.82 गुरूग्राम मैट्रोपोलिटन सिटी बस लिमिटेड (जी.एम.सी.बी.एल.) के साथ राज्य के सभी नगर निगमों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में सिटी बस सेवाओं के संचालन के लिए राज्य परिवहन उपक्रम (एस.टी.यू.) के रूप में कार्य करने की घोषणा की गई है।

वहन स्क्रैप–पेज नीति

4.83 इस नीति के तहत मोटर वाहन कर में देय कर के 10 प्रतिशत या जमा प्रमाण–पत्र के अनुसार स्क्रैप पेज मूल्य के 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। पंजीयन शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट का अनुदान भी शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है।

नागरिक विमानन

4.84 सिविल विमानन विभाग, हरियाणा की पांच सिविल हवाई पट्टियां पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी तथा नारनौल में हैं। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के दो फंलाईग प्रशिक्षण केन्द्र, करनाल तथा पिजौंर में स्थित हैं, जहां लड़के तथा लड़कियों को फ्लांईग का प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्राईवेट पायलट लाईसैंस (पी.पी.एल.), कमर्शियल पायलट लाईसैंस (सी.पी.एल.) तथा इंस्ट्रक्टर रेटिंग (आई.आर.) का प्रशिक्षण दिया जाता है। दिनांक 01–04–2022 से 31–10–2022 तक कुल 69 लाईसैंस प्रशिक्षु में से 58 प्रशिक्षुओं को एस पी.एल. (11), सी.पी. एल. (12), सी.पी.एल(सी) (01), आई.आर. (09), आई.आर. (नवीनीकरण) (09), ए.एफ.आई.आर. (13) तथा एफ.आई.आर. (03) से पुरस्कृत किया गया।

***